186

20 COURT FEE INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /11 निगरानी R-93-II/2011

शान्ति बाई पत्नी श्री भंवरलाल खटीक,
निवासी–ग्राम नाहरगढ़, तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर म.प्र. ——— प्रार्थी

विरूद्ध

1. भैरूलाल पिता श्री बाबरू गायरी,
   निवासी–नाहरगढ़, तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर
2. फकीरचन्द पिता श्री काशीराम खटीक,
   निवासी–ग्राम सुवासरा, तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर म.प्र.
3. दुर्गाशंकर पिता श्री काशीराम खटिक,
   निवासी–ग्राम ताल, तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर म.प्र.
4. बांली बाई पिता श्री काशीराम पत्नी मांगीलाल,
   जाति–खटीक, निवासी–सीतामऊ जिला मन्दसौर
5. राधाबाई पिता श्री काशीराम पत्नी देवराज खटिक,
   निवासी–ग्राम हाटपिपल्या, तह. व जिला मन्दसौर
   ——— प्रतिप्रार्थी

क्रमांक 105 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त दिनांक 11-1-11

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 प्रकरण क्रं. 278/07–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21/10/10 से असंतुष्ट होकर अन्दर अवधि प्रस्तुत है ।

11.1.11

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :

प्रकरण के तथ्य

17/2/11

01 यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधि एवम् विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बगैर साक्ष्य लिये आदेश प्रदान करने में कानूनी भूल की है । प्रकरण में किसी भी पक्ष की साक्ष्य नही ली गई है व केवल भैरूलाल की शिकायत के आधार पर प्रकरण को स्वमोटो रिविजन लेने में भूल की है।

निरन्तर..........2

(186) (185)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/93/दो/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 25/04/2014 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	